HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

Endt.No <u>C/458</u> (JJB)/ Jabalpur, dated <u>10</u>/02/2021 III-6-4/72-XI

The copy of Notification no. 267/332/2021/50-2 dated 30-01-2021 issued u/s 4(1) &(2) of Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 received from State Government, Department of Women & Child Development, Bhopal is forwarded to :-

- 1- The Principal Secretary, Law & Legislative Affairs Department, Bhopal for information.
- 2- The District and Sessions Judge,
- 3- The District Judge (Inspection & Vigilance), Jabalpur, Indore, Gwalior
- 4- Shri/Smt......CJM/JMFC & Principal Magistrate of District.....
- 5- The Principal Registrar, Bench at Indore/Gwalior High Court of M.P., Jabalpur.
- 6- Registrar (J.)/(D.E.)/(A)/(Vig.)/(VI.)/(A.W.), High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
- 7- P.S. to Hon'ble the Chief Justice ,High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for placing the matter before His Lordships,
- 8- P.S. to Registrar General/ Principal Registrar(Judl)/ Principal Registrar (Inspection & Vigilance),/ Principal Registrar (Examination & ILR)/OSD High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
- 9- P.A. to Director/Additional Director/JOTRI, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
- 10- Joint Registrar /Confidential/S.O. Checker High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
- 11- Computer Operator, Confidential Section , High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
- 12- Server Room (Computer) for making available in the official website of the High Court under the hyperlink circular/orders etc. in compliance of the orders of Registrar General dated 01-03-2018 & endt No. Reg(IT)/SA/2018/368 dated 01-03-2018.

(R.P.S. CHUNDAWAT) REGISTRAR (DE)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 468/2021/21-ब(एक),

भोपाल, दिनांक 🖟 /02/2021

प्रति,

श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर.

विषय:- अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक 267/332/2021/50-2, दिनांक 30.01.2021 के साथ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, दिनांक 30.01.2021 को जारी अधिसूचना की छायाप्रति समुचित कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

(प्रमुख सचिव, विधि द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- उपरोक्तनुसार

भ्रं संतोष प्रसाद शुक्ल) अतिरिक्त सचिव,

🐧 मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

High Court of Madhya Pradesh

JABALPUR

0 5 FEB 2021

264

Receipt Clerk

High Court Jabalour



मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक 267 /332/2021/50-2 प्रति भोपाल, दिनांक 30/1/2021

नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स, भोपाल

विषय - अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन ।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद द्वारा संलग्न सूची (हिन्दी/अंग्रेजी) की तीन-तीन प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि आगामी राजपत्र में प्रकाशित कर 15 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने क्राकिय करें। संलग्न :- उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग भेराल, दिनांक 30/1/2021

पृष्ठां0 क्रमांक 268 /332/2021/50-2 प्रतिलिपि :-

संचालक, महिला एवं बाल विकास संचालनालय, भोपाल
 उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

3. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उप सचिव

महिला एवं बाल विकास विभाग

ME

2-1/200 (13-1)

अधिस्चना

भोपाल, दिनांक. 30 / 01 2021

क्रमांक. 261/332 2021 50-2 किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद द्वारा नीचे दी गई अनुस्ची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्:-

ः अनुसूची ::

ं क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4
1	मंडला	मंडला	श्रीमती हर्षिता
			पिपरेवार, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपान के नाम से

जमकीश चंद्र जिटया)

मध्यप्रदेश शासन,

महिला एवं बाल विकास विभाग



Government of Madhya Pradesh Department of Women & Child Development Mantralay, Vallabh Bhavan, Bhopal

Notification

Bhopal, dated 30,001-2021
No. 26.7. 33.2. 2021 Sin exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children)
Act 2015 (No.02 of 2016) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no. 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely:-

Schedule-

S.NO	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
1	2	3	4
1	Mandla	Mandla	Smt. Harshita Piprewar, JMFC

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR OF MARKA PRADESH

(Jaguish Chandra Jatiya) Deputy Secretary,

Government of Madhya Pradesh

Department of Women & Child Development